न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु0)सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– अंजू शर्मा आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर 18/14

उनवान

बीरबल पुत्र श्योनारायण जाति मीना निवासी ग्रांम ओलवाडा तहसील सवाई माधोपुर (राज0)

(वादी)

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार,सवाई माधोपुर। (प्रतिवादी)

वाद पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती,इस्तकरार हक एवम् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित अभिभाषकगण

श्री हंसराज यादव – वकील वादी

श्री छोटू सिंह गूर्जर –पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

तारीख निर्णय 18.12.2017

वादी का वाद सक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजीयात जिसके साबिक खसरा नं0 595/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा बंजड 2 एवम साबिक खसरा नं0 595/3 एवं साविक खसरा नं0 596/3 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा बारानी 3 ग्राम ओलवाडा में स्थित हैं। साविक जमाबन्दी चौसाला से आगामी जमाबन्दी दर्ज करते समय हल्का पटवारी द्वारा त्रुटिवश वादी की खातेदारी की भूमि साविक खसरा नं0 595/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा को साविक खसरा नं0 595/3 के साथ शामलाती कर रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कायम कर दिया एवम् साविक खसरा नं0 596/3 को अलग से 15 बीघा 16 बिस्वा अंकित कर जमाबन्दी में अंकन कर दिया जो गलत है साविक खसरा नं0 595/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा को अलग अंकित किया जाना चाहिये था एवंम साविक खसरा नं0 595/3 एवम् 596/3 को संयुक्त रूप से दर्ज कर रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा का अंकन किया जाना चाहिये था जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2042–2045 पेश की है। उक्त गलती राजस्व कर्मचारी की गलती के कारण हुई है। वादी की कब्जे काश्त एवम् खातेदारी की साविक जमाबन्दी सम्वत 2042 से 2045 में हुई अशुद्वि के आधार पर ही नवीन भू प्रबन्धन के दौरान सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नये नं0 कायम कर दिये जिसमें खाता संख्या 252 किता 2 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा कर्नवर्टेट नं0 5.13 हेक्टेयर अंकित कर साविक खसरा नं0 595 मिन रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा के नवीन खसरा नं0 728 रकबा 0.5है0 गैमु0पाल,ख0नं0 743 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह,ख0नं0 744 रकबा 1.07 है0 बारानी तृतीय बनाये एवम् साविक खसरा नं0 596 मिन रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा के नये ख0नं0 745 रकबा 0.19 है0 बारानी 3,ख0नं0 746 रकबा 0.04 है0 गै0मु0 नाला, ख0नं0 779 रकबा 0.20 है0 बारानी 3 ख0नं0 782 रकबा 1.05 है0 बारानी 3,ख0नं0784 रकबा 0.45 है0 बारानी3,ख0नं0 974 रकबा 0.40 है0 बारानी 1,ख0नं0 783/1872 रकबा 0.90 है बारानी 3 एवम् ख0नं0 762/1899 रकबा 0.76 है0 बारानी 3

सहायक कलेक्टर
मु॰ सवाई माधोपुर

कुल किता 11 रकबा 5.13 हेक्टयर कायम कर वादी बीरबल पुत्र श्योनारायण मीना साकिन देह खातेदार के नाम दिनांक 30.04.1997 को पर्चा जारी किया जिसकी छाया प्रति पेश की है। दिनांक 17.9.2014 को वादी को अपनी आराजीयात पर के0सी0सी0 बनवाने हेतु जमाबन्दी,नक्शा ट्रेस की नकल ली तो वादी की खातेदारी में 1.85 हेक्टेयर भूमि कम थी जो नक्शे में खेत बिखरे हुये थे जिसके बाद वादी ने पुराने दस्तावेजात की नकल ली तो पता चला की साबिक जमाबन्दी 2017–2020 के खसरा नं0 एवम् रकबे में फेरबदल हो गया एवम् उसी आधार पर सेटलमेन्ट में नये नम्बर बना दिये तब वादी ने भू प्रबन्ध विभाग से नवीन पर्चा खतौनी की नकल ली तो उसके खसरा नम्बर एवम् रकबे में कॉट छॉट करते हुये कुल किता 11 कुल रकबा 5.13 हेक्टेयर की जगह कुल किता 9 कुल रकबा 3.28 हेक्टेयर का इन्द्राज मिला एवम् उसी आधार पर नवीन जमाबन्दी सम्वत् 2058 में अंकन कर दिया एवम् लगातार आज तक कुल किता 9 रकबा 3.28 हेक्टेयर का अंकन किया जाकर जमाबन्दी जारी की जा रही है। भू प्रबन्धन के दौरान वादी के कब्जे काश्त की जगह को सिवायचक में दर्ज कर दिया एवम् वादी का जहॉ कब्जा नही था वहा पर खातेदारी दर्ज कर दी वादी के नाम नवीन जमाबन्दी जारी की उसमें नवीन खसरा नं0 728 रकबा 0.5है0 गैमु0पाल,ख0नं0 743 रकबा 0.02 है0 गै0मु0 चाह,ख0नं0 744 रकबा 1.07 है0 बारानी तृतीय सही दर्ज किये है तथा ख0नं0 745 रकबा 0.19 है बारानी 3 ख0नं0 779 रकबा 0.20 है0 बारानी 3 ख0नं0 783/1872 रकबा 0.90 है0 बारानी 3 दर्ज किये वह सही है शेष ख0नं0 746 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 782 रकबा 0.77 है0,ख0नं0 784 रकबा 0.31 है पर गलत खतेदारी अंकित की है जो निरस्तनीय हैं वादी का कब्जा शुरूआत से ही नवीन खसरा नं0 729 एवं 730 पर है। भू प्रबन्ध विभाग के दौरान हुई अशुद्वि को शुद्व किया जाकर वादी की खातेदारी में साविक खसरा नं0 595 मिन एवम् ख0नं0 596 मिन के नवीन खसरा नं0 728 रकबा 0.05 है0,ख0नं0 743 रकबा 0.02 है0,ख0नं0 744 रकबा 1.07 है0, ख0नं0 745 रकबा 0.09 है0,ख0नं0 779 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 783/1872 रकबा 0.77है0,एवम् ख0नं0 730 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह एवम् ख0नं0 729 रकबा 4.32 है0 में 2.96 हेक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 5.13 हेक्टेयर पर खातेदारी अंकित की जाकर खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है।वादी की खातेदारी में दौराने सेटलमेन्ट कम रकबा अंकित करते हुये नक्शा ट्रेस कब्जे अनुसार कायम नही कर अन्यत्र जगह तरमीम कर दिया जिसको शुद्व करवाने हेतु हल्का पटवारी से निवेदन किया परन्तु शुद्व नही किया इस कारण वादी को यह दावा पेश करना लाजमी हुआ। वादी की आराजी साविक खं0नं0 595/2, 596/3, 595/3 में स्थित है परन्तु नवीन राजस्व रिकोर्ड में सेंटलमेन्ट के दौरान गलत तरमीम की है जिसमें वादी का कब्जा अन्य ख0नं0 में इन्द्राज कर दिया जो गलत किया है। वादी का कब्जा अनुसार राजस्व रिार्काड में एवं नक्शे में इन्द्राज किया जाना है। इन्द्राज दुरूस्ती एवम् घोषणा इस असर की फरमायी जावें कि ग्राम ओलवांडा स्थित साबिक आराजी खसरा नं0 595/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा साविक खसरा नं0 595/3 , 596/3 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा जिसके नवीन नवीन खसरा नं0 728 रकबा 0.05 है0,ख0नं0 743 रकबा 0.02 है0,ख0नं0 744 रकबा 1.07 है0, ख0नं0 745 रकबा 0.09 है0,ख0नं0 779 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 783/1872 रकबा 0.77है0,एवम् ख0नं0 730 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह एवम् ख0नं0 729 रकबा 4.32 है0 में 2.96 हेक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 5.13 हेक्टेयर बने है पर वादी को खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावें । एवम् इसी आधार पर दुरूस्ती फरमायी जाकर राजस्व रिकार्ड , जमाबन्दी, एवम् नक्शा ट्रेस में अंकन किया जावें तथा खसरा नं0 746 रकबा 0.04 है0 ख0नं0 782 रकबा 0.77 है0,खं0नं0 784 रकबा 0.31 है0 पर से वादी का नाम

सहायक कलेक्टर
मु. सवाई माधोपुर

हज्फ फरमाया जावें एवम् पर्चा खतौनी में रकबा नक्शे अनुसार सही किया जावे। प्रतिवादी किसी प्रकार की बाधा, मजाहमत,मदाखलत न तो स्वयं करें,न ही दीगर व्यक्ति से करावें।

प्रतिवादी को सम्मन जारी करने पर प्रतिवादी सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब क्रमांकःएलआर/2179 दिनांक 30.12.2014 में अंकित किया है कि प्रार्थी के पिता श्योनारायण पुत्र जैलाल मीना सा0देह के नाम नामा संख्या 97 दिनांक 11.9.58 को ग्राम ओलवाडा तहसील व जिला सवाई माधोपुर के नाम पुराने खं0नं0 595/3,596/3 15 बीघा 16 बिस्वा बारानी व खं0नं0 595/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा किस्म बजड 2 कुल रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा भूमि द्वारा हकूक खातेदारी मंजूर हुआ जिसकी नकल नामान्तरकण संख्या 97 प्रस्तुत की हैं जमाबन्दी चौसाला सम्वत 2017 से 2020, 2029 से 2032, 2033 से 2036 तक उक्त खसरा नम्बरान का खातेदार के नाम अमल हो रहा है। जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2037 से 2040 में खाता संख्या 243 में प्रार्थी के पिता श्योनारायण के नाम 595/2,595/3,596/3 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा व 15 बिघा 16 बिस्वा तीनो खसरा नम्बरो पर कोष्ठक अंकित किया है वो गलत किया गया है।यहा पर अंकित चिन्ह(कोष्ठक) को स्पष्ट करना चाहुंगा की खं0नं0 595/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा व 595/3 व 596/3 रकबा 1 5 बीघा 16 बिस्वा होना चाहिये था। जो नही किया इस प्रकार चिन्ह ओवलिग लगाने से अन्तर आगे तक प्रभावित हो गया जो गलत हैं। इस प्रकार जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2037 लगायत 2040 तक खाता संख्या 243 पर उक्त खसरा नम्बर का पृथक पृथक रकबा दर्शातें हुये भी शामलाती मान लिया गया **है। खं0 नं0 595 की किस्म बजड 2 के बजाय बारानी 3 कर दिया गया तथा नामान्तरकरण** संख्या 691 दिनांक 7.1.83 द्वारा विरासत का नामान्तरकरण श्योनारायण की बजाय बीरबल पुत्र श्योनारायण मीना के नाम स्वीकार किया जाकर अमल हो रहा है। जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2042 व 2045 के खाता सं0 252 पर उक्त नामान्तरकरण सं0 651 के अनुसार अमल बीरबल पुत्र श्योनारायण के नाम कर दिया गया है। यहॉ पर खसरा नम्बर 595/3 व 596/3 को कोष्ठक लगाकर रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा एवम् खं0नं0 595/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा की बजाय 595/2,595/3 पर कोष्टक लगकार रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा व 596/3 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा कर दिया गया यानि ओवलिग का निशान गलत कर दिया है। जमाबन्दी चोसाला 2042 लगायत 2045 में ख0नं0 595/2,595/3 पर कोष्ठक लगाकर रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा व ख0नं0 596/3 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा बा03 गलत हो जाने के कारण ही नवीन सेटलमेन्ट के समय खं0 नं0 595 में से नवीन खसरा नम्बर 729 रकबा 6.54 में से 2.96 का अमल नही किया गया । खं0 नं0 596 के नवीन ख0न0 746 रकबा 0.04 गै.मु. नाला, खं0नं0 782 रकबा 0.77 बारानी3,खं0नं0 784 रकबा 0.31है0 बारानी3 किता 3 रकबा 1.12है0 का अमल कर दिया गया है। जो गलत है। उपरोक्त पुराने खसरा नम्बरान की गलती से ही प्रार्थी का पुराना ख0नं0 595 की नवीन ख0नं0 729 रकबा 6.54 है में से 2.96 है0 का अमल नही हुआ है। जबकि नवीन ख0नं0 729 रकबा 6.54 है0 सिवायचक में से 2.96 है0बा03 का अमल किया जाना चाहिये था। प्रार्थी का मौके पर ख0नं0 729 रकबा 2.96 है0 पर कब्जा काश्त है। साथ प्रार्थी का मौके पर ख0नं0 730 रकबा 0.01गै0मु0 चाहा (कुआ)बना रखा है जिस पर कब्जा हैं तथा उक्त चाह से ही सिंचाई करता आ रहा है। अतः प्रार्थी के नाम ख0नं0 729 रकबा 2.96 बा03 ख0नं0 730 रकबा 0.01है0गै0मु0चाहा कुल किता 2 रकबा 2.97 इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना उचित है। यह है कि प्रार्थी के पिता के नाम नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2026–लगायत 2029 में पुराना ख0नं0 595/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा में अंकित सम्वत् 2026 व 2027 गै0मु0 चाह रकबा 0.01 कृर्षि शुन्य क्षेत्रफल का विवरण कालम नं0 15 में दर्शाया हैं जिसकी वर्तमान में नवीन खं0नं0 730 गै0मु0 चाह 0.01 है0 सिवायचक

सहायक कलेक्टर
मु. सवाई माधोपुर

दर्ज कर दिया गया। जिसका शुद्व किया जाकर नवीन खं0नं0 730 रकबा 0.01गै0मु0 चाह प्रार्थी के नाम अंकित किया जाना उचित बताया हैं खं0नं0 595/3 व 596/3 रकबा 15 बिघा 16 बिस्वा में भी सम्वत् 2045 नकल खसरा गिरदावरी के कालम नं0 48 में चाह 2 (दो चाह) दर्शाया गया है। जिसके नवीन खं0नं0 743 गै0मु0 चाह रकबा 0.02 नवीन रेकार्ड में प्राथी के खाते में दर्ज है। जबकि मौके पर प्रार्थी के वर्तमान में दो चाह हैं एक चाह तो नवीन रिकार्ड में ख0नं0 743 दर्शाया गया है किन्तु दूसरा चाह को नवीन खं0नं0 730 सिवायचक दर्शाया गया हैं जो गलत है। अतः दूसरा चाह खं0नं0 730 रकबा 0.01 है0गै0मु0 चाह प्रार्थी के नाम किया जाना उचित हैं अतः वर्तमान में नवीन जमाबन्दी में ख0नं0 746 रकबा 0.04, 782 रकबा 0.77,ख0नं0784 रकबा 0.31 किता 3 कुल रकबा 1.12 है0 भूमि को सिवायचक किया जाना उचित बताया है। तथा नवीन ख0नं0 729 रकबा 6.54 है0 में से 2.96 है. बा0 3 ख0नं0 730 रकबा 0.01 सिवायचक कुल किता 2 रकबा 2.97 है इन्द्राज दुरस्ती किया जाना उचित होगा क्यों कि परिवादी का शुरू से पुराने ख0नं0 के आधार पर कब्जा चला आ रहा है। नवीन जमाबन्दी में वर्तमान रकबा 3.28 है में से ख0नं0 746,782,784 रकबा रकबा 1.12 है कम होने पर तथा इन्द्राज दुरस्ती योग्य ख0नं0 796 रकबा 2.96 है व ख0नं0 730 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 रकबा 2.97 है0 कुल 5.13 है0 हो जाता है जो परिवादी के रिकार्ड में गलती से पूर्व के रकबा 20बीघा 6 बिस्वा पूर्व के रकबा के बराबर आ जाता है। तनकीयात कायम की जिसमें बिन्दु सं01 आया वादी वाद पत्र में अंकित आराजी साबिक ख0नं0 595/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा ,सा0ख0न0 595/3, 59623 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा के नवीन सेटलमेन्ट से बने नवीन ख0नं0728,743 744,745,,779,,783/1872,730,729 किता 8 कुल रकबा 5.13 हैक्टयर वाके ग्रेाम ओलवाडा,जिला सवाई माधोपुर का खातेदार है। एवं इसी आधार पर राजस्व रिकार्ड में शुद्वि कर अंकन किया जावे तथा नवीन ख0नं0 746,782,784, पर से वादी का नाम हल्फ करवाने का अधिकारी है?(वादी) बिन्दु सं0 2 आया वादी प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है उक्त भूमि के उपयोग–उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नही करें? (वादी) बिन्दु सं0 3 आया वादीपत्र में अंकित दादरस्वी के अनुसार वादी इन्द्राज दुरस्त कराने का अधिकारी है?(प्रतिवादी)बिन्दु सं0 4 अन्य अनुतोष ? तनकीयात को विवेचित की गई। साक्ष्य के समर्थन में वादी की ओर से बीरबल पुत्र श्योनारायण व राधेश्याम पुत्र मोती मीना निवासी ओलवाडा तह0 स0मा0 की ओर शपथ बयान प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्य सही अंकित किये है क्यों कि वादी की भूमि भी बयान कर्ता की भूमि के पास ही है।वकील प्रतिवादी (पेरोकार सरकार) जिरह करना नही चाहते हैं न ही प्रतिवादी अपने बयान प्रस्तुत करना चाहते है।साक्ष्य वादी तथा प्रतिवादी बंद की गई।

वकील उभय पक्ष उपस्थित हुए एवं बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा बहस के दौरान ,ख0नं0 746 **रकबा 0.04, 782 रकबा 0.77,ख0नं0 784 रकबा 0.31 किता 3 कुल रकबा 1.12 है0 भूमि को सिवायचक किया जाना तथा नवीन ख0नं0 729 रकबा 6.54 है0 में से 2.96 है. बा0 3 ख0नं0 730 रकबा 0.01 सिवायचक कुल किता 2 रकबा 2.97 है इन्द्राज दुरस्ती किया जाकर प्रार्थी के खाते में दर्ज करने व नवीन जमाबन्दी में वर्तमान** रकबा 3. 28 है0 में से ख0नं0 746,782,784 रकबा रकबा 1.12 है0 राजस्व रिर्काड से हज्फ करने ख0नं0 796 रकबा 2.96 है व ख0नं0 730 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 रकबा 2.97 है0 जोडने बाबत बात दोहराई गई। पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त गलती जानबूझकर नही की गई यह एक ओबलिंग/कोष्ठक के कारण हुई है जो दुरूस्ती करदी जाये तो कोई आपत्ति नही हैं जिसकी तहसीलदार ने लिखित में रिपोर्ट में सहमति भी प्रस्तुत की है। हमने वकील वादी व पेरोकार सरकार की बहस को सुना एव मनन किया गया हैं उनके द्वारा

सहायक कलेक्टर
मु. सवाई माधोपुर

प्रस्तुत अभिलेख व साक्ष्य शपथ पत्र बयान का अध्ययन किया। एवं सम्बन्धित भू.अभिलेख निरीक्षक को न्यायालय में तलब कर उक्त मौका रिर्पोट व जवाब की पुष्टि की गई।

उक्त विवेचन के आधार पर मै इस नतीजे पर पहुॅची हूॅ कि वादी के खाते में ओबलिंग के चिन्ह के कारण राजस्व रिकार्ड व भू प्रबन्धन के दौरान सेटलमेन्ट से उक्त त्रुटि हो गई।अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर तनकीयात के बिन्दु संख्या 1,2 व 3 वादी पक्ष में की जाकर वर्तमान में वादी के ग्राम ओलवाडा तहसील स0मा0 में स्थित भूमि खाता संख्या 118 में अंकित खसरा नं0 728,743 744,745,746,779,782,783/1872,784 किता 9 कुल रकबा 3.28 है0 में से खसरा नं0 746 रकबा 0.04 है0 ख0नं0 782 रकबा 0.77 है0,ख0नं0 784 रकबा 0.31 है0 किता 3 कुल रकबा 1.12 है0 भूमि जिस पर वादी का कब्जा नही हैं को सिवायचक घोषित की जाती है तथा नवीन ख0नं0 729 रकबा 6.54 है0 सिवायचक में से 2.96 है0 बा0 3 व ख0नं0 730 रकबा 0.01है0 गै0मु0चाह सिवायचक सम्पूर्ण हिस्सा इस प्रकार कुल किता 2 रकबा 2.97 है0 भूमि जिस पर वर्तमान में वादी का कब्जा काश्त है का वादी को खातेदार घोषित किया जाता हैं। इस प्रकार वादी के वर्तमान खाते से शेष रही कुल भूमि रकबा 2.16 है0 व सिवायचक से खातेदारी दी गई कुल भूमि रकबा 2.97 है0 मिलाकर वादी के खाते मे कुल रकबा 5.13 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते है। कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर नक्शा ट्रेश में तरमीम करे। दावा डिक्री किया जाता है। तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वह वादी के हिस्से की आराजीयात में किसी प्रकार की मदाखलत न तो स्वंय करे ना ही किसी अन्य से करावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो

निर्णय आज दिनांक 18.12.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो मियाद गुजरने बाद दाखिल दफतर हो ।

(अन्जू शर्मा)
सहायक कलेक्टर (मु0)
सवाई माधोपुर